v/;k; 3
ipk;rh jkt lLFkkvk dh vuikyu y[kkijh{kk

3-1 C;kt dh gkfu

[k.M fodkl vf/kdkjh] {k= ipk;r] ukx<] pUnkyh }kjk ;ktuk d fn'kk&fun'kk dk vuikyu u fd, tku d QyLo:i ₹ 22 yk[k d C;kt dh gkfu rFkk iHkkoh vuJo.k d vHkko e cpr cd [kkr e vo'k"kk ij C;kt dk vueU; u djk ikukA

भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करने, गरीबी उन्मूलन की दिशा में योगदान करने तथा जनजातीय व पिछड़े क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिये, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना प्रारम्भ की गयी (जनवरी 2007)। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में विकास को गति देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2010–11 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत एकीकृत कार्ययोजना प्रारम्भ की, जिसके अन्तर्गत योजना में प्राप्त ब्याज को अतिरिक्त संसाधन के रूप में लिया जाना था तथा योजना/परियोजना के उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जाना था। अग्रेतर, योजना की निधि को सार्वजनिक क्षेत्र के बचत बैंक खाते में रखा जाना था।

क्षेत्र पंचायत, नौगढ़, चन्दौली के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014) एवं संकलित सूचनाओं (मई/जुलाई 2015) मे पाया गया कि एकीकृत कार्ययोजना के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2012–13 में ₹ 6.54 करोड़[1] प्राप्त किया तथा उसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक[2], (बैंक) के बचत खाता संख्या 618032010013622, शाखा नौगढ़, जनपद चन्दौली में रखा गया था। यह खाता खण्ड विकास अधिकारी द्वारा योजना के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मार्च 2012 में खोला गया था। दिशा–निर्देशों के अनुसार योजना निधि को सार्वजनिक क्षेत्र के बचत बैंक खातों में रखा जाना चाहिए था। अग्रेतर, संवीक्षा में पाया गया कि बैंक द्वारा मार्च 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि में जमा ₹ 22 लाख[3] की धनराशि पर ब्याज नहीं दिया गया *¼ifjf'k"V 3-1½*। तथापि, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनुमन्य ब्याज खातों में जमा किए जाने के सम्बन्ध में कोई प्रयास मार्च 2015 तक नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत, नौगढ़ ने बताया (अगस्त 2015) कि ब्याज का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में बैंक को मई 2015, जून 2015 तथा जुलाई 2015 में पत्र प्रेषित किये गये थे। बैंक ने अपना मन्तव्य खण्ड विकास अधिकारी को बताया (जुलाई 2015) कि खाता, बचत खाते के रूप में खोला गया था परन्तु मुख्यालय के निर्देश 23 जुलाई 2014 के क्रम में इसे चालू खाता योजना में परिवर्तित कर दिया गया। इसलिए खाते में ब्याज के संचयन प्रक्रिया को बन्द कर दिया गया था। बैंक का मन्तव्य स्वीकार्य नहीं था क्योंकि खाता धारक के लिखित अनुरोध के बिना खाता की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। खण्ड विकास अधिकारी का उत्तर भी स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि वर्ष 2012–14 तक खाता में अवशेषों का न तो अनुश्रवण किया गया न ही ब्याज को खाते मे जमा कराये जाने का समय से प्रयास किया गया था। इसके अतिरिक्त, वह दिशानिर्देशों के अनुसार

---

[1] 20 जून 2012 को ₹ 1.44 करोड़, 25 जून 2012 ₹ 4.10 करोड़ को एवं 25 मार्च 2013 को ₹ 1.00 करोड़।
[2] काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक।
[3] चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर आगणित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ब्याज दर पर)।

योजना निधि को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में जमा कराने एवं यथोचित सावधानी व देखभाल सुनिश्चित करने में विफल रहे।

3-2 jktLo gkfu

ftykf/kdkjh }kjk nqdkuksa ds fy, fu/kkZfjr njksa ds vuqlkj fdjk, dk fu/kkZj.k u fd;s tkus ls ftyk iapk;r] lhrkiqj dks ₹ 30-61 yk[k dh jktLo gkfuA

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसम्बर 1997 में जारी शासनादेश के प्राविधान के अनुसार अध्यक्ष, जिला पचांयत द्वारा जिला पंचायत के अधीन निर्मित दुकानों/काम्पलेक्सों का मासिक किराया, सार्वजनिक नीलामी पद्वति अपनाते हुए तथा यह सुनिश्चित किया जाना था कि नियत किराया, बाजार दर से कम न हो। शासनादेश के अनुसार बाजार दर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर को माना गया। शासनादेश में आगे यह भी कहा गया है कि इस निर्धारित किराया दर की प्रति तीन वर्षों पर 25 प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिये। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 4 में प्रावधानित है कि जिलाधिकारी, जहाँ तक सम्भव हो अगस्त माह में प्रत्येक दो वर्ष पर, जिले के विभिन्न भागों में स्थित व्यावसायिक भवनों का प्रति वर्ग मीटर की दर से न्यूनतम मासिक किराया नियत करेंगे।

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सीतापुर के लेखा–अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2013) तथा संकलित सूचनाओं (जनवरी व जून 2015) में पाया गया कि जिला पचांयत, सीतापुर द्वारा जिला सीतापुर के महमूदाबाद तहसील में स्थित 98 दुकानों हेतु वर्ष 2008–09 में नियमानुसार किराये का संशोधन तीन/पाँच वर्षों में सम्मिलित करते हुए तीन/पाँच वर्षों के विस्तार के प्रावधान सहित किराया अनुबन्ध निजी पार्टियों के साथ निष्पादित किया गया। जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा 2008–2015 की अवधि में तीन बार व्यावसायिक भवनों का न्यूनतम मासिक किराया जून 2008, जून 2010 तथा अगस्त 2013 में नियत किया गया। तथापि, जिला पंचायत द्वारा शासनादेश के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए दुकानों का किराया, जिलाधिकारी द्वारा नियत दर के अनुसार संशोधित नही किया गया तथा कम दर पर मासिक किराया की वसूली जारी रखी गयी जैसा कि नीचें वर्णित है:

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि:

- जिला पंचायत, सीतापुर द्वारा जब वर्ष 2008–09 में किराया अनुबन्ध किया जा रहा था तो किराये की प्रारम्भिक धनराशि जिलाधिकारी द्वारा बाजार दर के समान निर्धारित नहीं की गयी थी जिसके फलस्वरूप 98 दुकानों के सापेक्ष ₹ 28,447 की राजस्व हानि हुयी *¼ifjf'k"V 3-2½*

- वर्ष 2008–15 की अवधि में, किसी भी दुकान के सापेक्ष किरायादारों से प्रारम्भिक अनुबन्धित मासिक किराया दर में तीन वर्षो के पश्चात जैसा कि किराया अनुबन्ध/शासनादेश की शर्तो में प्रावधानित था, सशोधित नहीं किया गया जिससे जिला पंचायत, सीतापुर को पुनः ₹ 30.33 लाख की हानि हुई*¼ifjf'k"V 3-3½*।

इस प्रकार शासनादेश का अनुपालन न करने के कारण जिला पंचायत, सीतापुर को ₹ 30.61 लाख की राजस्व हानि हुई।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अपर मुख्य अधिकारी, सीतापुर ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2013) कि किराए का निर्धारण दुकानों की श्रेणी के आधार

पर किया गया था तथा जिलाधिकारी द्वारा किराये के निर्धारित दर के समान किराया निर्धारण हेतु कार्यवाही की जायेगी। अपर मुख्य अधिकारी ने आगे यह भी बताया (जून 2015) कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम किराया दर जिला पंचायतों पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि जिला पंचायत स्वायत्तशासी संस्था है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा जारी शासनादेश में अपेक्षित था कि समस्त जिला पंचायतों को यह सुनिश्चित करना था कि उनके द्वारा निर्धारित मासिक किराया दर, जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित बाजार दर से कम न हो।

3-3 0; ;kf/kD;

'kkldh; vkns'kk dh vog syuk dj mPp nj ij fufonk Lohd`r fd;s tkus ds QyLo:Ik ₹ 19-16 yk[k dk 0; ;kf/kD;A

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर 364 के अनुसार सामान्यतः निम्नतम निविदा स्वीकार की जानी चाहिए। शासनादेश (जून 2012) के अनुसार प्राक्कलित दर से निम्न दर पर की जाने वाली निविदा में एक अतिरिक्त सुरक्षा/निष्पादन गारंटी ली जानी चाहिए थी जिससे कि ठेकेदार/फर्म, कार्य को बीच में छोड़/बंद न कर सके।

जिला पंचायत, गाजीपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2014) में पाया गया कि तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अल्पकालिक सूचना पर नमूना जाँच किये गये छः कार्यों के लिए आमंत्रित (जून, 2013) निविदाओं के सापेक्ष प्राक्कलित दर से 13 से 19 प्रतिशत कम दर पर प्राप्त की गयी थी (जुलाई 2013)। अग्रेतर, शासनादेश के अनुसार (दिसम्बर 2007) इस प्रकार के प्रकरणों में निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी को यह अधिकार है कि वह निविदाकर्ता से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगे कि इतने कम दर पर वह कार्य कैसे पूरा करेगा और यदि यह निश्चित हो जाता है कि निविदाकर्ता ने जानबूझकर निम्न दर दिया है तो मेरिट के आधार पर अधिकारी द्वारा निविदा निरस्त की जा सकती है तथा इसे निरस्त करने के लिये आदेश जारी करेंगे जिसमें निविदा को निरस्त किये जाने के कारण दर्शाये जायेंगे। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ये निविदायें इस आधार पर निरस्त कर दी गयी थी कि निविदा दर प्राक्कलित दर से कम थी तथा कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती। तथापि, निविदा निरस्त करने के पूर्व निविदाकर्ता से न तो कोई स्पष्टीकरण मांगा गया न ही निम्नतम निविदाकर्ता को नियमानुसार अतिरिक्त सुरक्षा/निष्पादन गारंटी जमा करने हेतु अवसर ही दिया गया। जिससे कार्य न करने के प्रति जोखिम की अभिरक्षा प्राप्त हो सके। इस प्रकार, बिना निविदा प्रक्रिया का पालन किये निविदा निरस्त करना अनियमित था।

अग्रेतर, अपर मुख्य अधिकारी ने बताया (जुलाई 2015) कि निविदा दूसरी बार जुलाई 2013 में आमंत्रित की गयी थीं तथा अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दी गयीं थीं। इन कार्यों के लिए तीसरी बार (सितम्बर 2013) में निविदा या तो प्राक्कलित धनराशि पर या प्राक्कलित धनराशि से सात प्रतिशत निम्न दर पर स्वीकृति की गयी थी। समस्त छः कार्यों को तीसरी निविदा की दर पर पूर्ण किया गया था। इस प्रकार, नियमों के विरूद्ध मनमाने ढंग से प्रथम निविदा निरस्त किये जाने तथा बाद में अपर मुख्य अधिकारी, गाजीपुर द्वारा अधिक दर पर निविदा स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप ₹ 19.16 लाख का अधिक व्यय किया गया जैसा कि *¼ifjf'k"V 3-4½* में वर्णित है।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ने बताया (नवम्बर 2014) कि निविदाओं को कार्य की गुणवत्ता में कमी की आशंका के

आधार पर निरस्त किया गया था क्योंकि निविदा प्राक्कलित धनराशि से 19 प्रतिशत तक कम थी तथा यह स्वीकार किया कि अतिरिक्त सुरक्षा/निष्पादन गारण्टी नहीं ली गयी थी। अपर मुख्य अधिकारी ने पुनः बताया (अगस्त 2015) कि जिला पंचायत में कोई भी निविदा बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है तथा 19 प्रतिशत तक कम दर पर निविदा स्वीकृत करने पर कार्य की गुणवत्ता निश्चित रूप से प्रभावित होती। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निरस्त करने के पूर्व नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी थी।

इस प्रकार निविदा को अधिक दर पर स्वीकार करना तथा निम्न दर की निविदा को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना अस्वीकार करना, नियमों के विरूद्ध था तथा उस सीमा तक शासनादेश का उल्लंघन था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.16 लाख का अधिक व्यय हुआ।

3-4 vfu;fer 0;;

vi{kr vfHkys[kk d lEFku d fcuk ₹ 53-87 yk[k dk vkgj.k dj fuek.k dk;ks l lEcfU/kr Hkxrkuks ij vfu;fer :Ik l 0;; fd;k tkukA

ग्राम पचांयत (*मैनुअल*) में वित्त एवं लेखा प्रबंधन के लेखा *मैनुअल* अध्याय 5 के प्रस्तर 5 के अनुसार ₹ 2,000 से अधिक धनराशि के भुगतान को अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड VI के प्रस्तर 434, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशो के अनुसार ₹ 50 से अधिक के निर्माण अथवा सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित भुगतान की प्रविष्टि माप पुस्तिका मे अंकित की जानी चाहिये। अग्रेतर जारी शासनादेश जुलाई 2011 के अनुसार "उनके मानदेय के अतिरिक्त ग्राम–प्रधान को कोई भी भुगतान धारक चेक के माध्यम से नहीं किया जायेगा" पुनः शासनादेश के अनुसार ग्राम–निधि से नगद आहरण की सीमा ₹ 5000 तक सीमित की गयी है।

जिला मिर्जापुर के ब्लाक नारायणपुर के ग्राम पंचायत, अमदहा, पौनी तथा घाटमपुर के अभिलेखो की संवीक्षा (जनवरी 2015) एवं संकलित सूचनाओं (अगस्त 2015) में पाया गया कि 2011–15 की अवधि में ग्राम प्रधानों द्वारा शासनादेश व *मैनुअल* का उल्लंघन करते हुए कई बार ₹ 5,000 से अधिक का आहरण ग्राम निधि से कुओं का चबूतरा निर्माण तथा कुओं की सफाई, नाली निर्माण, खंडजा, सड़कों को जोडना, हैण्डपम्पों के मरम्मत तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यों हेतु कुल ₹ 53.87 लाख *¼ifjf'k"V 3-5½* भुगतान करने हेतु आहरित किये गये थे। इसमें से ₹ 14.87 लाख *¼ifjf'k"V 3-6½* आहरण फार्म (86 प्रकरण) के माध्यम से आहरित किया गया था और शेष धनराशि धारक चेक के माध्यम से आहरित की गयी थी। अग्रेतर, ऐसे आहरणों द्वारा भुगतान के समर्थन में ग्राम पंचायतों द्वारा स्टाक बुक व माप–पुस्तिका जैसे आवश्यक अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था। इन अभिलेखों के अभाव में निष्पादित किये गये कार्यों की प्रमाणिकता तथा आहरण द्वारा किये गये भुगतान को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सकता था।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अमदहा, पौनी और घाटमपुर ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी (सचिवों) ने बताया (अगस्त 2015) कि स्टाक–बुक और माप–पुस्तिकाओं का रख–रखाव वर्ष 2015–16 से किया जा रहा है। ग्राम प्रधानों द्वारा ग्राम–निधि से ₹ 5,000 से अधिक के नगद आहरण/निकासी के सम्बन्ध में सचिवों ने बताया (अगस्त 2015) कि ₹ 5,000 से अधिक के नगद आहरण

अथवा भुगतान धारक चेक के माध्यम से वर्ष 2015–16 से नहीं किये जा रहे हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ग्राम पंचयातों द्वारा ग्राम–निधि से आहरण के लिये सम्बन्धित मैनुअल व शासनादेश के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा *मैनुअल* व वित्तीय हस्त–पुस्तिका में भुगतानों से सम्बन्धित निर्धारित आवश्यक अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था।

इस प्रकार, ग्राम प्रधानों द्वारा स्वीकार्य सीमा से अधिक धनराशि का आहरण, ग्राम–निधि से किये जाने के फलस्वरूप ₹ 53.87 लाख का आहरण अनियमित था। इसके अतिरिक्त, मौलिक समर्थित अभिलेखों के रख–रखाव नहीं किये जाने से भुगतान की सत्यता एवं शुद्धता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

3-5 vfu;fer 0;;

jkT; foRr vk;kx d vuqnku lEcU/kh fn'kk&funs'kk dk ikyu u fd;s tkus d dkj.k xke ipk;r] Njkr lqfM;ky] tokur] vyhx< e nqdkuk d fuek.k ij ₹ 23-21 yk[k dk vfu;fer 0;;A

तृतीय राज्य वित्त आयोग के अनुदान को सम्बन्धी ग्राम पंचायतों द्वारा उपभोग के सम्बन्ध में सितम्बर 2010 में जारी शासनादेश[4] के अनुसार, अनुदान का उपभोग सामुदायिक सम्पत्ति के रख–रखाव जैसे पंचायत भवनों, विद्यालय भवनों, अन्य समुदायिक भवनों, सार्वजनिक सड़कें और अन्य सार्वजनिक सम्पत्तियों के रख–रखाव पर किया जाना था।

ग्राम पचांयत अधिकारी, ग्राम पंचायत, छेरात सुडियाल, खण्ड जवान, अलीगढ के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2015) में पाया गया कि वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 की अवधि में 15 दुकानों[5] के निर्माण सम्बन्धी ₹ 25.25 लाख की परियोजना, ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित की गयी थी। कुल 15 दुकानों[6] का निर्माण स्वीकृत धनराशि ₹ 25.25 लाख के सापेक्ष राज्य वित्त आयोग के अनुदान से ₹ 23.21 लाख व्यय करके कराया गया था *¼ifjf'k"V 3-7½*। दुकानों का निर्माण राज्य वित्त आयोग के अनुदान से कराया जाना शासनादेश का उल्लंघन था क्योंकि यह राज्य वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं था।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी, अलीगढ़ ने बताया (अप्रैल 2015) कि दुकानों का निर्माण आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य वित्त आयोग के अनुदान का उद्देश्य सार्वजनिक सम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु था तथा ग्राम पंचायतों में दुकानों का निर्माण कर आय बढाने हेतु राज्य वित्त आयोग अनुदान से अनुमन्य नहीं था। अग्रेतर, जिला पंचायत राज अधिकारी और निदेशक, पंचायती राज उत्तर प्रदेश के पत्र क्रमशः 25 जुलाई 2015 एवं 21 अगस्त 2015 द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि ग्राम पंचायतों में दुकानों के निर्माण पर व्यय राज्य वित्त आयोग के अनुदान से अनुमन्य नहीं था।

इस प्रकार, राज्य वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों का पालन न किये जाने के कारण ₹ 23.21 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

[4] शासनादेश संख्या. 1719/33–3–2010–48/2007 दिनांक 01.09.2010।

[5] छः दुकानों के निर्माण कार्य हेतु ₹ 9.50 लाख, आठ दुकानों के निर्माण हेतु ₹ 14 लाख की परियोजना तथा एक दुकान के निर्माण हेतु ₹ 1.75 लाख।

[6] छः दुकानें वर्ष 2013–14 में ₹ 8,14,712 का व्यय; और नौ दुकानें वर्ष 2014–15 में ₹ 15,06,340 व्यय।

3-6 vfrØfer Hkfe dk [kkyh u djk;k tkukA

mRrj izn'k {k= ipk;r rFkk ftyk ipk;r vf/kfu;e] 1961 ,oa mRrj izn'k ftyk ipk;r vkj {k= ipk;r fu;ekoyh] 1965 dh izko/kkuksa dk ftyk ipk;r] yfyriqj }kjk ikyu u fd;s tkus ds QyLo:i ₹ 3-77 djksM dh lEifRr dk vfrØe.k ls eDr u djk;k tkukA

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (चालू एवं स्थायी परिसम्पत्ति) नियमावली, 1965 के नियम 5 के अनुसार जिला पंचायत को नियमित अतंराल पर कम से कम तीन वर्ष में एक बार जाँच अधिकारी द्वारा सम्पत्ति पंजिका की जाँच कर अभिलेखों की शुद्धता प्रमाणित की जानी चाहिये और यदि कोई प्रविष्टि गलत पाई जाती है तो जिला पंचायत को अग्रेतर कार्यवाही हेतु रिपोर्ट करना चाहिये। उत्तर प्रदेश पंचायत कानून (संशोधन) अधिनियम 1999 की धारा 107 के अनुसार कोई भी "जिला पचांयत के क्षेत्र की किसी भूमि पर अतिक्रमण करता है, वह अवश्य दण्डनीय है"। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 246 यह अधिकार प्रदान करती है कि जिला पचांयत द्वारा जारी नोटिस का किसी व्यक्ति के द्वारा अनुपालन नहीं करने पर उसके विरूद्ध दण्ड का प्रावधान है।

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, ललितपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2014) एवं संकलित सूचना (मई 2015) में पाया गया कि वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु शासनादेश (दिसम्बर 1998) के अनुपालन में जिला पंचायत ने अपनी नजूल[7] भूमि को फ्री–होल्ड कराने का निर्णय लिया (फरवरी 1999)। इसके पश्चात, जिला पंचायत ने 4,493.64 वर्ग मीटर नजूल भूमि[8] को जिला पंचायत के पक्ष में फ्री–होल्ड करने हेतु ₹ 6.26 लाख कोषागार में जमा किये (दिसम्बर 1998 एवं मार्च 2000)[9] जो जिला पंचायत के पक्ष (जुलाई 2000) में फ्री–होल्ड हो गया। तथापि, 4,493.64 वर्गमीटर भूमि में से 2,791.64 वर्ग मीटर भूमि मूल्य ₹ 3.77 करोड़[10] पर अतिक्रमण रहा (मई 2015) *¼ifjf'k"V 3-8½*। अग्रेतर, संवीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत के सम्पत्ति पंजिका का परीक्षण वर्ष 2015 तक नहीं किया गया था और न ही जिला पंचायत द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई थी। जिला पंचायत ने फरवरी 2000 मे अतिक्रमण किये गये भूमि को खाली कराने हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा भूमि खाली नहीं की गई। जिला पंचायत द्वारा आगे नोटिस नहीं जारी किया गया। जिला पंचायत द्वारा अतिक्रमण की गयी भूमि को खाली कराने हेतु उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रावधान में वर्णित शक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, ललितपुर ने बताया (जुलाई 2014) कि स्टाफ की कमी के कारण सम्पत्ति पंजिका का वर्ष 2001 के पश्चात परीक्षण नहीं किया जा सका और अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया गया है। अपर मुख्य अधिकारी ने आगे बताया (सितम्बर 2015) कि भूमि के अतिक्रमण का प्रकरण समय–समय पर जिलाधिकारी, ललितपुर के संज्ञान में लाया गया

[7] नजूल भूमि सरकार के स्वामित्व की भूमि है। स्थानीय निकायें उसके प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी थे तथा पुनः कब्जे हेतु अधिकार शासन में निहित है।

[8] ₹ 1,36,831 कोषागार चालान संख्या टी–3 दिनांक 31.12.1998 एवं ₹ 4,88,683 कोषागार चालान सं0 टी–9 दिनांक 15.03.2000।

[9] नजूल प्लाट संख्या 3747 स्थित गुसयाना, ललितपुर

[10] सम्प्रेक्षा में आगणित 2,791.52 वर्ग मी0@ रू0 13,500.00 = ₹ 3,76,85,520.00

किन्तु भूमि खाली नहीं कराया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि अपर मुख्य अधिकारी के कर्तव्यों में भूमि व सम्पत्ति पंजिका के परीक्षण की जिम्मेदारी थी, जिसका निर्वहन विगत 14 वर्षों से नहीं किया गया था। अग्रेतर अतिक्रमण की गयी भूमि को खाली कराने हेतु अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नियम एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये थे।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 और उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत नियमावली, 1965 के प्रावधानों का अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अनुपालन न किये जाने के कारण ₹ 3.77 करोड़ की भूमि पर अब तक अतिक्रमण रहा।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (मार्च से जून 2015) उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2015) था।